

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-33/रेडियो./एम-97 II/2018/516

दिनांक : 8/01/19

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नामों के सम्मुख अंकित परीक्षा में बैठने की अनुमति अद्योलिखित शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	परीक्षा
1.	श्री कमल सिंह सैनी सहायक रेडियोग्राफर	एसएमएस अस्पताल जयपुर	एम्स रिषिकेश से रेडियोग्राफी टेक्नीशियन ग्रेड प्रथम।
2.	दीपिका खंगारोत सहायक रेडियोग्राफर	राज. दंत महाविद्यालय जयपुर	आरएएस मैन्स-2018 परीक्षा
3.	श्री लोकेश मीणा सहायक रेडियोग्राफर	सीएचसी फुलेरा जयपुर द्वितीय	एम्स रिषिकेश से रेडियोग्राफी टेक्नीशियन ग्रेड प्रथम।
4.	श्री रविराज शर्मा सहायक रेडियोग्राफर	केन्द्रीय कारागृह जयपुर	आरएस-सीआईटी कोर्स।
5.	श्री पुरुषोत्तम सहायक रेडियोग्राफर	राज. अमृतकौर चि. ब्यावर, अजमेर	स्वयंपाठी बीएससी परीक्षा प्रथम वर्ष 2018-2019
6.	श्री रवि टांक सहायक रेडियोग्राफर	राज. अमृतकौर चि. ब्यावर, अजमेर	स्वयंपाठी बीएससी परीक्षा प्रथम वर्ष 2018-2019
7.	श्री धर्मेन्द्र कुमार सोनी रेडियोग्राफर	राज. अमृतकौर चि. ब्यावर, अजमेर	आरएएस मैन्स-2018 परीक्षा
8.	श्री महेन्द्र कुमार बैरवा वरिष्ठ रेडियोग्राफर	सआदत अस्पताल टोंक	आरएएस मैन्स-2018 परीक्षा
9.	श्री राहुल नैणीवाल नेत्र सहायक	श्रीजवाहर चिकि. जैसलमेर	आईबीपीएस परीक्षा
10.	श्रुति माथुर सहायक रेडियोग्राफर	एसएमएस अस्पताल जयपुर	एम्स रिषिकेश से रेडियोग्राफी टेक्नीशियन ग्रेड प्रथम।
11.	श्रीमती पूनम सोनी सहायक रेडियोग्राफर	सीएचसी पीसांगन अजमेर	एम.ए. (राजनीति विज्ञान) प्रथम वर्ष परीक्षा।

1. राज्य सेवा में कोई व्यवधान ना हो।
2. राज्य सरकार/विभाग द्वारा कोई वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।
3. इन्हें केवल परीक्षा दिवस का ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
4. परीक्षा की तैयारी हेतु इन्हें कोई अवकाश देय नहीं होगा।
5. परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त किसी प्रकार के वित्तीय लाभ/पद लाभ की मांग नहीं करेंगे।
6. राज्य हित में उक्त स्वीकृति को कभी भी निरस्त किया जा सकेगा।
7. यदि इनका चयन उक्त पद पर हो जाता है तो विभाग में इनका लियन नहीं रहेगा।
8. चयन होने पर नियमानुसार त्याग-पत्र स्वीकार करा कर कार्यमुक्त हो कर चयनित पद पर कार्यग्रहण करना होगा।

नोट : उक्त कार्मिक यदि संविदा/समेकित वेतन पर कार्यरत है तो यह आदेश लागू नहीं होगा।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-33/रेडियो./एम-97 II/2018/516

दिनांक : 8/01/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अधीक्षक, एसएमएस अस्पताल जयपुर/मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर/राजकीय दंत महाविद्यालय जयपुर/केन्द्रीय कारागृह जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय ब्यावर अजमेर/सआदत चिकित्सालय टोंक/जवाहर चिकित्सालय जैसलमेर।
4. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सीएचसी फुलेरा, जयपुर/पीसांगन अजमेर।
5. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को वास्ते अपलोड।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)